''पायलट राष्ट्रीय नेता, स्टार प्रचारक के रूप में कांग्रेस हर जगह भेजती है, केवल एमएलए के तौर पर उन्हें नहीं देखा जा सकता''

जयपुर (का.प्र.)। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से अब तक सचिन पायलट को कोई पद नहीं मिलने के सवाल पर पायलट समर्थक और प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजेन्द्र चौधरी ने कहा कि पायलट को राष्ट्रीय नेता और स्टार प्रचारक के रूप में कांग्रेस पार्टी हर जगह भेजती है। उन्हें केवल एक एमएलए के तौर पर नहीं देखा जा सकता।

राजस्थान में सियासी बदलाव और एंटी इनकम्बेंसी को लेकर बात करने पर चौधरी ने कहा कि सियासी बदलाव को लेकर निर्णय पार्टी लेती है और पार्टी आलाकमान ने जब पंजाब में चन्नी को सीएम बनाया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह अकेले रह गए और सब जानते हैं कि पंजाब में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। इसी के साथ राजेंद्र चौधरी ने सचिन पायलट को राष्ट्रीय नेता बताते हुए यह तो नहीं कहा कि राजस्थान में सियासी बदलाव होगा, लेकिन उनके बयानों के मायने अलग ढंग से निकाले जा रहे हैं।

> ■ पायलट समर्थक राजेन्द्र चौधरी बोले- ''जब पद चला जाता है तो कोई साथ खड़ा नहीं होता''

राजस्थान में मंत्रिमंडल पुनर्गठन और सियासी नियुक्तियों की बात पर उन्होंने कहा कि यह एक सिस्टम है। राजस्थान में जब मंत्रिमंडल पुनर्गठन हुआ तो मंत्रियों के विभागों को बदला गया और मंत्रियों से किसी ने उसके बाद बात भी नहीं की।

पद का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी, तो गोविंद मोहन गुप्ता उनके सचिव थे और पूरी ब्यूरोक्रेसी उनके पीछे रहती थी, लेकिन जब उनको वसुंधरा राजे ने हटाया तो वह एक अटैची के साथ अकेले ही एयरपोर्ट गए। यह सब बताता है कि पद के साथ हर कोई खड़ा होता है लेकिन जब पद चला जाता है तो कोई साथ खड़ा नहीं होता।

राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर हुए सवाल पर उन्होंने कहा की अशोक गहलोत भी इस मामले में प्रियंका गांधी और अजय माकन से बात कर चुके हैं। जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां होंगी। इसी के साथ सचिन पायलट को लेकर उन्होंने फिर कहा कि वे राष्ट्रीय नेता हैं और राजस्थान में जब 21 सीट कांग्रेस की आई थीं, तो सोनिया गांधी ने सचिन पायलट को जिम्मेदारी सौंपकर राजस्थान भेजा था और उन्होंने राजस्थान के दौरे कर फिर से सत्ता लाने के लिए मेहनत की।

किसानों के साथ सांसद किरोड़ी ने किया सिविल लाइंस कूच, पूर्ण कर्ज माफी की मांग उठाई

दंडवत प्रदर्शन कर किसानों ने विरोध जताया, पुलिस ने किरोड़ी को सीएमओ ले जाकर करवायी वार्ता

जयपुर (कासं)। सांसद किरोड़ी मीणा ने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए याद दिलाया कि प्रदेश के किसानों का पूरा माफ होना चाहिए था। मुख्यमंत्री ने अभी किसानों की कृषि भूमि नीलामी आदेश को स्थगित किया है, जबकि पूर्ण कर्जा माफ करते हुए 15 लाख से अधिक किसानों की कृषि भूमि नीलामी के आदेश को निरस्त किया जाए।

डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने गुरूवार को बड़ी संख्या में पीड़ित किसानों के साथ सिविल लाइंस कूच करते हुए धरना दिया। सिविल लाइन फाटक पर दंडवत प्रदर्शन के बाद पुलिस किरोड़ी को सचिवालय ले गई। जहां सीएमओ में सरकार के साथ बातचीत में रामगढ़ पचवारा में पिछले दिनों की गई किसान आत्महत्या मामले में विधवा को 5 लाख के सरकारी सहायता की घोषणा करवाई।

डॉ. मीणा ने कहा कि सत्ता में आने से पूर्व चुनाव में राजस्थान के किसानों का 10 दिन में कृषि ऋण माफ करने का वादा किया था जिसे राहुल गांधी ने भी दौहराया था।

मुख्यमंत्री गहलोत ने भी राजस्थान के किसानों के कृषि ऋण माफ करने की घोषणा की थी। किंतु घोषणा के विपरीत किसानों की जमीन कुर्क किए जाने की कार्यवाही बड़े पैमाने पर जारी है। मीणा ने बताया कि अकेले दौसा में 800-1000 किसानों, सवाई माधोपुर में 600-700 किसानों, करौली में करीबन 800 किसानों, अलवर जिले में करीबन 3000 किसानों, धौलपुर एवं भरतपुर में भी सैकड़ों किसानों की जमीन कुर्क करने के नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। थानागाजी में करीबन 11 किसानों की जमीन नीलाम कर दी एवं रैण में आज करीबन 11 किसानों की जमीन नीलाम की जारी है। यह सब वो ऋण हैं जो सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक से लिए गए है।

उन्होंने कहा कि मोटे अनुमान के अनुसार करीबन 15 लाख किसानों का 10 हजार करोड रुपए के करीबन सहकारी बैंकों के कर्जे की तलवार किसानों पर लटकी हुई है। दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा उपखंड मुख्यालय के कजोड़ मीणा ने अपने खेत में ट्यूबवेल कराने के लिए वर्ष 2017 में 3 लाख 87 हजार रुपए का लोन लिया, जो इस समय ब्याज सहित करीब रुपए 7 लाख का हो गया।

बैंक के अधिकारी-कर्मचारी ने लोन जमा कराने का बार-बार तगादा किया, जिससे तंग आकर किसान कजोड़ ने 26 अक्टूबर को आत्महत्या कर ली।

घटना के 2 माह बाद इस परिवार के घर फिर बैंक वाले जा धमके और लोन जमा कराने के लिए तंग करने लगे। तब 13 जनवरी को दर्जनों किसानों ने उपखंड अधिकारी रामगढ़ पचवारा को एक ज्ञापन देकर मांग की, जिस ट्यूबवेल के लिए लोन लिया गया था वह फेल हो गई। इसलिए सेटेलमेंट कराकर लोन माफ कर जमा करा लिया जाए। इनकी जमीन को कुर्क नहीं किया जाए, करीबन 4 लाख 25 हजार रुपए का सेटलमेंट हो जाने तथा जमीन नीलाम नहीं किए जाने के आश्वासन के बाद परिवार घर लौटे।

संपूर्ण कर्ज माफी की मांग को लेकर किसानों ने सिविल लाइन्स फाटक पर दंडवत विरोध प्रदर्शन किया।

> ■ रामगढ़ पचवारा में पिछले दिनों आत्महत्या करने वाले किसान की विधवा को 5 लाख रु. की सरकारी मदद की घोषणा करवाई
>
> ■ कृषि भूमि नीलामी आदेश को स्थगित के बजाय निरस्त करे सरकार : किरोड़ीलाल

इसके बावजूद 18 जनवरी को बैंक कर्मियों और राजस्व अधिकारियों ने मिलकर समूची जमीन करीबन 15 बीघा को जिस की डीएलसी रेट के हिसाब से कीमत 75 लाख बनती है तथा मार्केट रेट के हिसाब से 1 करोड रुपए है, उसको 46 लाख रुपये प्रति बीघा के हिसाब से नीलाम कर दिया। मात्र 7 लाख रुपये के लोन के लिए पूरी जमीन को नीलाम कर दिया और नीलामी के समय किसानों को भी नहीं बुलाया गया और ना ही अखबारों में विज्ञिप्त जारी की गई।

इस प्रकार अधिकारियों ने कानून को ताक में रखकर इस कजोड़ मीणा के परिवार को सड़क पर ला दिया। मेरे ट्वीट करने के बाद आनन-फानन में 19 जनवरी को उस नीलामी को रद्द कर दिया गया, इससे स्पष्ट है कि नीलामी अवैध थी। डॉक्टर मीणा ने कहा कि ऐसे और भी कई मामले आपके सामने लाऊंगा जहाँ सरकारी अधिकारियों ने किसानों की परिवार के परिवार उजाड़ दिए जो आत्महत्या करने पर मजबूर है।

सहकारी भूमि विकास बैंकों के सुदृढ़ीकरण के लिए नाबार्ड को भेजा जाएगा एक्शन प्लान

जयपुर, (का.सं.)। प्रमुख शासन सचिव सहकारिता एवं कृषि दिनेश कुमार ने कहा कि सहकारी भूमि विकास बैंकों के सुदृढ़ीकरण के लिए एक्शन प्लान बनाकर नाबार्ड को भेजा जाएगा ताकि किसानों को कृषि ऋण एवं अन्य ऋणों की सुविधा बेहतर तरीके से उपलब्ध कराई जा सके।

कुमार गुरूवार को शासन सचिवालय में एसएलडीबी एवं पीएलडीबी के लिए टर्न-अराउन्ड-प्लान को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि नाबार्ड को जाने वाले एक्शन प्लान में ओटीएस स्कीम, अल्पकालीन पुनर्वित्त, विशेष तरलता सुविधा सहित अन्य बिंदुओं का समावेश कर तीन दिन के भीतर राज्य सरकार के प्रशासनिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजें। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि किसानों के हितों के संरक्षण के लिए नई योजनाएं तैयार की जाएं। किसान की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ओटीएस स्कीम एवं अन्य ब्याज अनुदान की योजनाओं पर जोर दिया जाए।

> ■ किसानों के हितों के लिए नई योजनाएं की जाएंगी तैयार: दिनेश कुमार

रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानंद अग्रवाल ने कहा कि प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के लिए लाई गई ऋण माफी योजना से करीब 29 हजार किसानों के लगभग 294 करोड़ के ऋण माफ हुए हैं। साथ ही, 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना से प्रतिवर्ष करीब 25 करोड़ रूपए का अनुदान किसानों को मिल रहा है। इस योजना से 5 प्रतिशत पर कृषि ऋण उपलब्ध हो रहा है।

एसएलडीबी के प्रबंध निदेशक विजय शर्मा ने बैंकों के टर्न-अराउन्ड-प्लान के बारे में प्रजेन्टेशन दिया। बैठक में संयुक्त शासन सचिव सहकारिता नारायण सिंह, अतिरिक्त रजिस्ट्रार मार्केटिंग धनसिंह देवल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम कान्हा नाटाणी से बदलकर दक्ष नाटाणी रख लिया है, भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाये दक्ष नाटाणी पुत्र श्री गोविन्द बल्लभ नाटाणी निवासी ए-15, 4फ्लौर, मदरामपुरा, सिविल लाइन्स, अजमेर रोड, जयपुर

In my 10th class certificate my name was Rampal Kumhar and all other Documents my name is Rampal S/o Shri Shiv Narain. This is correct name for all future purposes R/o D-13 Adarsh Basti, Tonk Phatak, Jaipur.

Tender Notice

Notice for purchase of Equipment for advance center for treatment of Hemiplegia, Stroke Patients and Normal Physiotherapy equipment by 31.01.2022.

Contact Incharge Physiotherapy
Ankur Sharma, 9414821410
between 10 AM to 01 PM

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 147/2022

चूंकि श्री हनुमान प्रसाद बलाई, निवासी मंदिर परिसर रणसिंह महाराज रणसी धाम ट्रस्ट, ग्राम नरैणा तहसील फूलेरा जिला जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत रणसी धाम ट्रस्ट, ग्राम नरैणा, तहसील फूलेरा, जिला जयपुर प्रन्यास के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रस्तित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 13.01.2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 22.03.2022

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

जिला उपभोक्ता आयोग को हटाने के लिए सीएम को शिकायत भेजी

जयपुर। अभिभाषक परिषद, बूंदी ने जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष रविन्द्र कुमार माहेश्वरी पर आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्य सचिव और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग सहित अन्य को पत्र भेजा है।पत्र में कहा गया कि अध्यक्ष रविन्द्र कुमार माहेश्वरी की कार्य प्रणाली हाईकोर्ट की कोविड अधिसूचना के खिलाफ है। बूंदी में फैल रहे कोविड संक्रमण और हाईकोर्ट के ऑफ लाइन कार्य नहीं करने के निर्देश के बावजूद अध्यक्ष वकीलों को ऑफ लाइन काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

रीट पेपर लीक का मास्टमाइंड भजनलाल गुजरात से गिरफ्तार

जयपुर (कासं)। एसओजी ने रीट पेपर लीक मामले में मास्टर माइंड भजनलाल विश्नोई को गुजरात से गिरफ्तार किया है। टीम गुरुवार को आरोपी को लेकर जयपुर पहुंची। बत्तीलाल समेत 20 आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान भजनलाल का नाम सामने आया था, तभी से एसओजी उसे ढूंढ़ रही थी। भजनलाल से पूछताछ में रीट पेपर लीक से जुड़े कई खुलासे होने की भी संभावना है। पुलिस के मुताबिक भजनलाल ने रीट का पेपर 30 से 40 लाख रुपए में अभ्यर्थियों को बेचा था। एसओजी की टीम पिछले 4 महीने से भजनलाल की तलाश में जुटी थी। इंस्पेक्टर मोहनलाल पोसवाल लगातार राजस्थान के अलावा मध्यप्रदेश, गुजरात व उत्तरप्रदेश में दबिश दे रहे थे। इस बीच एसओजी को भजनाल के गुजरात में होने की सूचना मिली। टीम गुजरात पहुंची और भजनलाल को गिरफ्तार कर लिया। भजनलाल विश्नोई जालोर के रानोदर, चितलावना का रहने वाला है।

गौरतलब है कि इसके बाद बत्तीलाल मीणा और पृथ्वीराज मीणा ने सवाईमाधोपुर और गंगापुरसिटी में कई अभ्यर्थियों को 10 से 12 लाख रुपये लेकर रीट का पेपर बेचा था।प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि भजन लाल तीन साल पहले भी कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बनकर बैठा था। इस दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इतना ही नहीं भजनलाल फर्जी डिग्रियों का भी मास्टर माइंड है।

निदेशक शपथ पत्र पेश कर बताए, क्यों नहीं हटाए अपात्र सफाई कर्मचारी?

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने केकडी नगर पालिका में अदालती आदेश के बावजूद अपात्र सफाई कर्मचारियों को नहीं हटाने के मामले में नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने स्थानीय निकाय निदेशक और केकडी नगर पालिका के तत्कालीन व मौजूदा अधिशासी अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है।

अदालत ने मामले में अवमानना की कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए स्थानीय निकाय निदेशक से पूछा है कि लापरवाही के लिए दोषी अधिशासी अधिकारी पर क्या कार्रवाई की गई है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश रोहित कुमार की अवमानना याचिका पर दिए। अदालत ने कहा कि मामले में जिम्मेदार अधिकारियों का रवैया निर्दनीय रहा है।

ऐसे में स्थानीय निकाय निदेशक मामले को गंभीरता से लेते हुए अदालती आदेश की पालना नहीं होने के कारणों का पता लगाए और इस संबंध में शपथ पत्र पेश कर अदालत को अवगत कराए। अवमानना याचिका में कहा गया कि 19 सितंबर 2019 को हाईकोर्ट ने केकडी नगर पालिका को अपात्र व गलत दस्तावेज से चयनित सफाई कर्मियों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश दिए थे, लेकिन अब तक उसकी पालना नहीं की गई है। ऐसे में अवमानना कर्ता दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाए।

> ■ केकड़ी नगर पालिका में अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई

वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने बताया कि नियुक्ति में अनियमितता के कारण करीब 60 अभ्यर्थी प्रभावित हुए थे। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अपात्र अभ्यर्थियों को हटा दिया गया, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों को अदालती रोक के चलते हटाया नहीं जा सका।

खोया पाया

मैं प्रताप सिंह खंगारोत पुत्र श्री समुन्द्र सिंह मेरा मकान नं. 83/107, प्रताप नगर सांगानेर, जिसका अलॉटमेंट लेटर 5295 खो गया है। मिले तो संपर्क करें-9829081358

मेरे आवास संख्या 4/एच/271, इन्दिरा गांधी नगर जगतपुरा जयपुर का मूल उपहार पत्र (Gift Deed) कहीं खो गया है। यदि किसी को मिले तो निम्न नम्बरों पर सूचित करें। मो. 9982218485

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक:13455 **जाहिर आम-सूचना** दिनांक:03.01.2022

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास/फ्लैट संख्या 232/46 (MIG-B) का आवंटन श्री भैरूलाल सेठी पुत्र स्व. श्री गणेश लाल सेठी को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1735 दिनांक 30.06.2009 को जारी किया गया था। उनके पक्ष में पंजीयन पत्रों निष्पादन दिनांक 24.02.2010 को उप पंजीयक चौमूं जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। श्री भैरूलाल सेठी की मृत्यु दिनांक 23.10.2013 को हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री कैलाश चंद सेठी पुत्र स्व. श्री भैरूलाल सेठी द्वारा आवासन मण्डल में वसीयतनामा के आधार पर अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। अतः उक्त आवास का हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही है, श्री कैलाश चंद सेठी पुत्र स्व. श्री भैरूलाल सेठी का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा। **भवदीय,**
तत्पदा प्रबन्धक, राज. आवा. मण्डल, वृत-प्रथम, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य प्रियांक विजय पुत्र राधेश्याम विजयवर्गीय व आशा विजय पत्नी राधेश्याम विजयवर्गीय, निवासी 5/373, एस.एफ.एस. अग्रवाल फार्म, मानसरोवर जयपुर द्वारा प्लाट संख्या 64, जय जवान गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर की स्कीम नं. 3 जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर स्थित सम्पत्ति को उक्त सम्पति के स्वामी श्री देवेन्द्र देव सिन्हा पुत्र हर्ष देव सिन्हा व अमित सिन्हा पुत्र देवेन्द्र देव सिन्हा जरिये मुख्त्यारआम देवेन्द्र देव सिन्हा से खरीद कर रहे है। मेरे अभिभाष्य उक्त सम्पति को एच.डी.एफ.सी.लि. में बंधक रखकर ऋण प्राप्त करना चाहते है। यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था आदि को उक्त सम्पति के खरीद/बंधक से किसी भी प्रकार का कोई ऐतराज हो तो 7 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता से लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर संपर्क करें। बाद गुजरने मियाद किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नही होगी।
जयपुर (रामेश्वर सिंह राठौड़)
दिनांक-20.01.2022 एडवोकेट, मो.नं. 9829256466

समन विवादकों के स्थिरीकरण के लिए
(आदेश 5 के नियम 1 और 5 भारतीय व्यवहारिक प्रक्रिया)
न्यायालय बअदालत अपर जिला न्यायाधीश सं. 4, बीकानेर
न्यायालय श्री रामवतार सोनी (आर.एच.जे.एस.)
वादी डॉ. रिशाल सिंह प्रतिवादी जगमाल सिंह वगैराह वादी.....
वादसंख्या-सीओ/134/19

प्रेषिति-
श्री लक्ष्मण सिंह राठौड पुत्र श्री उदयसिंह राठौड जाति राठौड निवासी सी-26, वैशाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर ..... ने आपके विरुद्ध .... के लिए वाद स्थापित किया है। आपको इस न्यायालय में तारीख 21.2.22 को दिन में 10.00 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने का समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है। जिसे सम्यक अनुदेश दिये हो और जो इस वादे से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है। कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें। और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है, पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।
आपको सूचित किया जाता है कि आप ऊपर बताई गई तारीख को न्यायालय में उपसंजात नहीं होगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह आज ता. 10.01.2022 को मेरे हस्ताक्षर से न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मोहर अदालत

न्यायालय की आज्ञा से अपर जिला एवं समन न्यायाधीश सं. 4 बीकानेर (राज.)

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

तीये की बैठक

अत्यन्त ही दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मपत्नी
श्री चंदा देवी
का स्वर्गवास 19.1.22 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 21.1.22 को सायं 3.00 से 4.00 बजे तक निवास स्थान-57, जमुना डेयरी, अजमेर रोड, सोडाला, जयपुर पर होगी।

शोकाकुल- (पति)-मोहनलाल टाँक, (जेठ)-रामेश्वर जी आँक, बंसीजी टाँक, (देवर)-बुद्धप्रकाशजी टाँक, (पुत्र), नंदलाल जी, राधेश्याम जी, सतीश जी, महेन्द्र जी एवं समस्त टाँक परिवार।

महिला अधिवक्ता की मौत की जांच अति. पुलिस अधीक्षक से कराओ

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन की कोषाध्यक्ष सोनल तनेजा की अलवर में संदिग्ध अवस्था में मौत के मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से जांच कराने के आदेश दिए हैं। अदालत ने याचिकाकर्ता को इस संबंध में अलवर एसपी को अपना अभ्यावेदन देने को कहा है। अदालत ने कहा है कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मामले की जांच दो माह में पूरी करें और एसपी मामले की मॉनिटरिंग करें। जस्टिस फरजंद अली ने यह आदेश डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के महासचिव गजराज सिंह की आपराधिक याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि एसोसिएशन की कोषाध्यक्ष सोनल तनेजा का शव अलवर में संदिग्ध अवस्था में मिला था। घटना को लेकर गत 29 जून को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मामले में मृतक के आत्महत्या करने की बात की जा रही है, लेकिन अब तक मामले की जांच पूरी नहीं हुई है। वहीं सरकारी वकील ने कहा कि मामले में हर पहलू पर जांच की जा रही है।

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में करोना संक्रमण के 681 और मामले बढ़े

राज्य में गुरूवार को 14 हजार 79 नए संक्रमित मिले हैं, इससे पहले बुधवार को 13 हजार 398 रोगी पाए गए थे

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में लगातार करोना संक्रमण के मामलों में भारी वृद्धि हो रही है। गुरूवार को राज्य में 681 और मामले बढ़ने के साथ ही 14 हजार 79 नए संक्रमित मिले हैं। हालाकि राजधानी जयपुर में इनकी संख्या में कुछ कमी आई है। वहीं राज्य में 10 हजार से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। इस बीच प्रदेश में करोना से 13 और लोगों की मौत हो गई है।

प्रदेश में करोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। इसके चलते राज्य में गुरूवार को 14 हजार 79 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले बुधवार को 13 हजार 398 रोगी पाए गए थे। इधर राजधानी जयपुर में पिछले चौबीस घंटों में 391 मामले कम आने के साथ ही 2919 नए संक्रमित मिले हैं। हालाकि अलवर में थोड़ी और वृद्धि के बाद 1410 नए मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा जोधपुर में 851, भरतपुर में 841, उदयपुर में 810, कोटा में 716, अजमेर में 570, चित्तौड़गढ़ में 512, बीकानेर में 464, गंगानगर में 390, हनुमानगढ़ में 378, पाली में 364, सीकर में 362, बाड़मेर में 353, भीलवाड़ा में 293, डूंगरपुर में 292, सवाईमाधोपुर में 261, टोंक में 201, चूरू में 199, प्रतापगढ़ में 198, बांसवाड़ा में 187, जैसलमेर में 185, झालावाड़ में 176, नागौर में 173, राजसमंद में 170, झुंझुनूं में 161, दौसा में 157, सिरोही और बारां में 118-118, करौली में 114, बूंदी में 64, धौलपुर में 60 और जालौर में 12 नए संक्रमित सामने आए हैं।

प्रदेश में करोना से मरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। गुरूवार को भी राज्य में इससे 13 लोगों की जान चली गई। इनमें बीकानेर, जयपुर और कोटा में 2-2 तथा बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनूं, जोधपुर, नागौर और राजसमंद में 1-1 संक्रमित की मौत हुई है। राज्य में अब तक इस बीमारी से 9044 लोगों की मौत हो चुकी है।

इधर राहत की बात यह है कि राज्य में करोना से रिकवरी में लगातार सुधार हो रहा है। इसके चलते पिछले चौबीस घंटों में प्रदेश में 10 हजार 528 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में अब तक इस बीमारी से 9 लाख 96 हजार 940 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में अभी भी 78 हजार 99 एक्टिव केस मौजूद है।

इनमें सबसे ज्यादा 20 हजार 90 मरीज जयपुर जिले में हैं। इसके अलावा अलवर में 7300, जोधपुर में 5384, उदयपुर में 4730, भरतपुर में 3588, कोटा में 3094, बीकानेर में 2907, अजमेर में 2795, पाली में 2750, बाड़मेर में 2544, चित्तौड़गढ़ में 2041, भीलवाड़ा में 1999, हनुमानगढ़ में 1891, सीकर 1666, सवाईमाधोपुर में 1616, गंगानगर में 1464, डूंगरपुर में 1061, प्रतापगढ़ में 1062 और चूरू में 1049 तथा शेष जिलों में इससे कम सक्रिय मरीज हैं।

> ■ हालाकि, इस बीच राजधानी जयपुर में थोड़ी कमी के बाद 2919 नए संक्रमित मिले हैं।
>
> ■ राज्य में गुरूवार को करोना से 13 और संक्रमितों की मौत हो गई है।
>
> ■ राहत की बात यह है कि पिछले चौबीस घंटों में साढ़े 10 हजार मरीज ठीक हुए हैं।

राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भिवाड़ी

आवश्यक सूचना मूलतः आवास संख्या 2/69 पुरानी कॉलोनी, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, भिवाड़ी श्री जे. कालरा को आवंटन पत्रांक 2502 दिनांक 05.10.1993 के द्वारा आवंटित किया गया था। इनके द्वारा उक्त आवास को बेचान उपरान्त मण्डल द्वारा अन्तिम क्रेता श्री सतेन्द्र कुमार सिंह के पक्ष में नियमितिकरण एवं आदेय प्रमाण पत्र संख्या354 दिनांक 18.02.2003 को जारी किया जा चुका है। इनके द्वारा उक्त आवास की रजिस्ट्री स्वयं के पक्ष में दिनांक 07.08.2004 को उप पंजियक भिवाड़ी में पंजिकृत करवाई जा चुकी है। इनके द्वारा उक्त आवास का बेचान दिनांक 04.08.2008 के पंजीकृत बयनामा द्वारा श्री जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह को किया गया। मण्डल द्वारा श्री जोगेन्द्र सिंह के पक्ष में लीज हस्तान्तरण आदेश क्रमांक 2636 दिनांक 14.12.2009 को जारी किया जा चुका है। श्री जोगेन्द्र सिंह द्वारा उक्त आवास का बेचान दिनांक 27.12.2021 के पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्री हरसुखमल एवं श्री सुनिल कुमार पुत्र श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल को संयुक्त नाम से किया गया है। श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल एवं श्री सुनिल कुमार द्वारा संयुक्त नाम से आवास का लीज डीड परिवर्तन करने के लिए प्रपत्र एवं प्रशासनिक शुल्क उच्च आय वर्ग एक बार विक्रय का राशि रूपये 20000.00 जमा हो चुके हैं व आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उक्त मकान का लीज स्थानान्तरण उनके पक्ष में किया जावें। अतः अरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त मकान संख्या 2/69 पुरानी कॉलोनी, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, भिवाड़ी के संबंध में किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड भिवाड़ी में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्री हरसुखमल एवं श्री सुनिल कुमार पुत्र श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल के पक्ष में मकान संख्या 2/69 पुरानी कॉलोनी, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, भिवाड़ी जिला अलवर के लीज स्थानान्तरण की कार्यवाही की जावेगी।
आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भिवाड़ी

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक-1(7)लोआस/1986/पार्ट/ दिनांक-20.01.2022

विज्ञप्ति

इस सचिवालय हेतु सीधी भर्ती से दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की जानी है। पदों का विवरण, भर्ती प्रक्रिया, आवेदन पत्र का प्रारूप आदि इस सचिवालय की वेबसाईट http://lokayukta.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। ऑफलाइन आवेदन (Offline Application) दिनांक 04.02.2022 सायं 6.00 बजे तक भिजवाये जा सकते है। इच्छुक अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु उक्त वेबसाईट पर भर्ती विज्ञापन देखें।

सचिव